

संख्या : 1932/1-10-2011-रा-10

प्रेषक,

के०के० सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बख्शी का तालाब,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10
जुलाई, 2011

07 जुलाई, 11
लखनऊ : दिनांक :

विषय: वित्तीय वर्ष 2011-12 में आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु
धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 30.06.2011 में लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु **रु० 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र)** की धनराशि इस निर्देश के साथ आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते कि उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये तथा व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

भवदीय,

(के०के० सिन्हा)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या:- 1932 ✓
(1)/1-10-2011-रा-10, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र० शासन।
2. महालेखाकार (लेखा) / (आडिट) प्रथम, उ० प्र० इलाहाबाद।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / समीक्षा अधिकारी, लेखा राजस्व अनुभाग-10 / राजस्व अनुभाग-6 / 11 / राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(21) *Mm*
07/07/11
(राजेन्द्र प्रसाद)
अनु सचिव